[2017] 3 एस. सी. आर. 783

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

राकेश कुमार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3938/2017)

24 मार्च, 2017

[ए. के. सिकरी एवं अशोक भूषण, जे. जे.]

सेवा कानून-

पेंशन लाभ-चाहे किसी अस्थायी कर्मचारी की अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद किसी पद पर उसके नियमित अवशोषण तक की पूरी सेवा को पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है या ऐसी सेवा की केवल 50 प्रतिशत अवधि को पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है-अभिनिर्धारित किया जाता है- अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद आकस्मिक कर्मचारी अपनी सेवाओं का 50 प्रतिशत तब तक गिनने का हकदार है जब तक कि वह पेंशन की गणना के उद्देश्यों के लिए नियमित/अस्थायी पद पर नियमित नहीं हो जाता है-अस्थायी स्थिति प्राप्त करने से पहले आकस्मिक कर्मचारी भी पेंशन के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक सेवा का 50 प्रतिशत गणना करने का हकदार है-वे आकस्मिक कर्मचारी जो किसी भी पद पर मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किए जाते हैं, वे 1993 के नियमों के नियम 20 के अनुसार ऐसे पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से पूरी अवधि की गणना करने के हकदार हैं। योग्य मामले में, पेंशन मंजूरी प्राधिकरण उन आकस्मिक श्रमिकों के संबंध में किसी भी नियम

की आवश्यकता को समाप्त करने या उसमें ढील देने के लिए रेलवे बोर्ड को छूट देने की सिफारिश करने के लिए खुला है, जिन्हें बाद में पद के खिलाफ अवशोषित कर लिया गया है और जो पेंशन देने के लिए मौजूदा नियम-रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993- नियम 20 की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993- नियम 20-लागू करने की क्षमताः नियम 20 ऐसे मामले में लागू नहीं किया जाता है जहां केवल आकस्मिक कर्मचारी को अस्थायी दर्जा दिया जाता है और किसी भी पद के लिए किसी भी क्षमता में कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. मास्टर सर्कुलर संख्या 54 के पैरा 20 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि 120 दिनों की निरंतर सेवा के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम की सेवा की अवधि का केवल आधा हिस्सा ही पेंशन लाभ के लिए गिना जाता है। भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली के पैरा 2005 में भी पेंशन लाभ की अवधि की गणना के लिए यही योजना शामिल है। पैरा 2005 के शीर्षक में आकस्मिक श्रम के लिए स्वीकार्य विशेषाधिकारों की गणना की गई है जिन्हें अस्थायी माना जाता है। [पैरा 28-30)(796-सी-एफ)

2. रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 20 में प्रावधान है कि योग्यता सेवा उस तारीख से शुरू होगी जब कर्मचारी उस पद का प्रभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार या तो मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है। नियम 20 तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को उपरोक्त किसी भी क्षमता में पद पर नियुक्त किया जाता है। नियम 20 का कोई अनुप्रयोग नहीं है जब नियुक्ति किसी भी पद के खिलाफ नहीं है। जब एक आकस्मिक श्रम को एक अस्थायी दर्जा दिया जाता है, तो एक स्थिति का अनुदान आई. आर. ई. एम. के पैरा 2005 में

उल्लिखित विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करता है। पैरा 2005 के उपखंड (ए) में गिने गए लाभों में से एक यह भी है कि उसे अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के केवल आधे हिस्से को गिनने के लिए पात्र बनाया जाए। इस प्रकार नियम 20 स्पष्ट रूप से ऐसे मामले में आकर्षित नहीं होता है जहां केवल आकस्मिक कर्मचारी को अस्थायी दर्जा दिया जाता है और किसी भी पद के खिलाफ किसी भी क्षमता में कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। [पैरा 40) [802-ए-सी)

3. नियम 20 के प्रावधान को मुख्य नियम 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जब मुख्य नियम 20 में उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से योग्यता सेवा शुरू करने पर विचार किया जाता है, तो किसी पद पर नियुक्ति अंतर्निहित होती है और यह एक पूर्ववर्ती शर्त होती है। परंतुक एक और अलग शर्त रखता है कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन, बिना किसी रुकावट के, उसी या किसी अन्य सेवा या पद में मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है। परंतुक को मुख्य प्रावधान से स्वतंत्र नहीं पढ़ा जा सकता है और न ही इसका मतलब यह हो सकता है कि केवल अस्थायी दर्जा देने से एक आकस्मिक कर्मचारी पेंशन लाभ के उद्देश्य से अपनी अस्थायी स्थिति की सेवा का हिसाब रखने का हकदार है। [पैरा 42) [802-जी-एच; 803-ए-बी]

4. आकस्मिक श्रम की अस्थायी स्थिति का अनुदान किसी पद के खिलाफ नियुक्ति के समान नहीं है और ऐसी आकस्मिकता नियम 20 द्वारा कवर नहीं की गई है और यह स्पष्ट रूप से नियम 31 द्वारा कवर किया गया है जो प्रदान करता है कि "आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा का आधा हिस्सा नियमित रोजगार में अवशोषण पर पेंशन लाभों की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जो कुछ शर्तों के अधीन है।" इस प्रकार अस्थायी दर्जा देने पर पेंशन लाभों की गणना के लिए योग्य

सेवाओं की गणना करते समय नियम 31 स्पष्ट रूप से लागू होता है। [पैरा 46) [804-सी-डी]

5. दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम की सभी सेवाएं, जिन्हें बाद में नियमित कर दिया गया था, गणना का हकदार है। आकस्मिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया है, वे नियम 31 के अनुसार पेंशन लाभों के लिए आधी सेवाओं की गणना कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 6,7 और 8 में विवादित निर्णय में दिए गए कारणों को सही कारण नहीं पाए जाने के कारण, दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है और खारिज किए जाने योग्य है। हालांकि, नोट-1 नियम 31 के आधार पर अस्थायी दर्जा देने से पहले आकस्मिक श्रम की अवधि को पेंशन लाभों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा तक गिना जाना चाहिए। [पैरा 47,48) (804-ई-एफ)

6. इस मामले का एक और पहलू ध्यान देने योग्य है। नियम, 1993 अर्थात नियम 107 में विशिष्ट नियम है, जो पेंशन मंजूरी प्राधिकरण को किसी भी नियम के संचालन की आवश्यकता को पूरा करने या उसमें ढील देने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संपर्क करने का अधिकार देता है, जिससे किसी विशेष मामले में कठिनाई होती है। इस प्रकार, उन रेलवे कर्मचारियों के मामलों में जो पेंशन देने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं और कुछ कम करने वाली परिस्थितियां हैं जिनमें छूट के लिए विचार की आवश्यकता होती है, प्रस्तावों को पेंशन मंजूरी प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति या मामलों के समूह में रेलवे बोर्ड को भेजा जा सकता है। इस प्रकार, योग्य मामलों में नियम 107 के तहत छूट देने की सिफारिश करने के लिए पेंशन मंजूरी प्राधिकरण को खुला छोड़ दिया गया है। [पैरा 49,50) (804-जी; 805-डी-ई]

केसर चंद बनाम पंजाब राज्य (1988) 5 एस. एल. आर. 27 (पी. एंड. एच.)- लागू नहीं हुआ। महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और एक अन्य बनाम शेख (अब्दुल खादर 2004 (1) एस. एल. आर. 2014; महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे और दूसरा बनाम चंदा देवी 2008 (2) एस. सी. सी. 108: [2007] 13 एस. सी. आर. 403; इंदरपाल यादव बनाम भारत संघ 1985 (2) एस. सी. सी. 648: [1985] 3 एस. सी. आर. 837; पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और दूसरा बनाम नारता सिंह और एक अन्य 2004 (3) धारा 317-का उल्लेख किया गया है।

महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और एक अन्य बनाम ए. रामनम्मा का फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 10838/2001 दिनांक 1.5.2009 में किया- आंशिक रूप से गलत कानून।

मामला विधि संदर्भ

[2004] (1) एस. एल. आर. 2014 पैरा 6

[2007] 13 एस. सी. आर. 403 पैरा 19

[1985] 3 एस. सी. आर. 137 पैरा 35

[2004] (3) धारा 311 पैरा 51

[1988] 5 एस. एल. आर. 27 (पी. एंड एच.) को संदर्भित अप्रयोज्य पैरा 52

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील संख्या 3938/2017

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7783 के साथ 2017 के सी. ए. संख्या 3939, 3940, 3941, 4384, 3943, 3944 के निर्णय और आदेश से।

मनिंदर सिंह, ए. एस. जी., आर. बालासुब्रमण्यम, नलिन कोहली, अमरजीत सिंह, राज बहादुर यादव, प्रभास बजाज, अक्षय ए., सुश्री आरती शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

आर. के. शुक्ला, दिनेश एस. बदियार, रमेश कुमार शुक्ला, राज किशोर चौधरी, रवि कुमार तोमर, एम. सी. ढींगरा, राजीव कुमार बंसल, अक्षय के. घई, मनीष पाठक, सुश्री गौरी एन. आर., पी. एस. खरे, एच. पी. चक्रवर्ती, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश अशोक भूषण द्वारा दिया गया।

1. ये अपीलें भारत संघ, मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे के साथ-साथ कुछ अन्य रेलवे प्राधिकरणों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर निर्णय रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सभी अपीलें कानून के समान प्रश्न उठाती हैं और लगभग समान तथ्यों पर आधारित होती हैं।

2. अपीलों के इस समूह में उठाए गए मुद्दों की सराहना करने के लिए 2015 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 23723 से उत्पन्न 2017 के सी. ए. 3938 के तथ्यों पर विस्तार से ध्यान देना पर्याप्त होगा। अपील के उत्तरदाताओं को शुरू में उत्तर रेलवे में आकस्मिक श्रम के रूप में नियुक्त किया गया था, एक या अधिक वर्षों तक काम करने के बाद, उन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया और बाद में नियमित पदों के खिलाफ नियमित किया गया। उदाहरण के लिए, उत्तरदाता संख्या 1 को 27.06.1984 से आकस्मिक आधार पर नियुक्त किया गया था। 22.06.1985 से उन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया था। इसके बाद, 31.12.1996 से उन्हें एक पद के लिए नियमित किया गया था और वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह की क्षमता में काम कर रहे हैं। उत्तरदाता नं. 1 ने उन्हें 50 प्रतिशत सेवा लाभ के बजाय 22.06.1985 से 31.12.1996 तक पूर्ण सेवा लाभ

देने के बारे में शिकायत की। इसी तरह, उत्तरदाता संख्या 2-24 को शुरू में आकस्मिक आधार पर नियुक्त किया गया था और एक या दो साल के बाद उन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया था और उसके बाद उन्हें 31.12.1996 को नियमित किया गया था। सभी उत्तरदाताओं ने एक ही शिकायत उठाई अर्थात जिस अवधि के दौरान वे काम कर रहे थे, उस अवधि के लिए पूर्ण सेवा लाभ देते हुए, जिन्हें अस्थायी दर्जा प्राप्त था। प्रतिवादी संख्या 1 से 24 ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष 2014 का ओ.ए संख्या 2389 दायर किया।

3. न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदकों ने निम्नलिखित राहतों का दावा किया: - "(क) उत्तरदाताओं को 120 दिनों की गणना के बाद आकस्मिक श्रम की क्षमता में आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को 50 प्रतिशत के रूप में गिनने का निर्देश देना और अस्थायी स्थिति की तारीख से पेंशन और पेंशन लाभों और योग्यता सेवा के रूप में अन्य लाभों के उद्देश्य से उनके नियमितीकरण तक। (ख) उत्तरदाताओं को श्याम प्यारे और अन्य बनाम विश्वविद्यालय और अन्य में पारित निर्णय और आदेश के लाभों को बढ़ाने का निर्देश देना जो पेंशन और पेंशन लाभों के साथ-साथ अन्य परिणामी लाभों के उद्देश्य से शेख अब्दुल खादर के निर्णय के आधार पर है, तदनुसार उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार आवेदकों के मामलों की जांच करने का निर्देश दिया जाए। (ग) कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायाधिकरण उचित और उचित समझे।

4. न्यायाधिकरण ने 2014 के इसी तरह के एक मामले में अपने पहले के आदेश 29.05.2014 पर भरोसा करते हुए, श्री प्रेम पाल बनाम भारत संघ और अन्य ने प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन को अनुमति दी। न्यायाधिकरण ने 2014 के अपने आदेश में उसके द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया जिसमें न्यायाधिकरण ने कहा था कि एक आकस्मिक श्रमिक को अस्थायी दर्जा दिए जाने के बाद वह पेंशन

लाभ के लिए अस्थायी स्थिति के साथ सेवा की 100 प्रतिशत अवधि की गणना करने का हकदार है।

5. न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश जारी करके मूल आवेदन का निपटारा कियाः -"उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम इस न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेशों के आलोक में आवेदकों के मामलों की जांच करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के साथ प्रवेश स्तर पर ही इस ओ. ए. का निपटारा करते हैं। यदि आवेदकों के मामले भी उक्त आदेशों के दायरे में आते हैं, तो उन्हें भी वही लाभ दिए जाएंगे। किसी भी मामले में, प्रतिवादी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर इस मामले में उचित आदेश पारित करेंगे। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

6. ट्रिब्यूनल के उपरोक्त निर्देशों से व्यथित भारत संघ और रेलवे प्राधिकरणों ने 2014 की रिट याचिका संख्या 7783 के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला था कि सेवा की अस्थायी स्थिति का केवल 50 प्रतिशत ही पेंशन लाभ के उद्देश्य के लिए गिना जा सकता है। रिट याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि 2004 (1) एस. एल. आर. 2014 में रिपोर्ट किए गए महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और एक अन्य बनाम शेख अब्दुल खादर मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वयं 2001 की रिट याचिका (सी) संख्या 10838, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद बनाम ए. रामनम्मा में एक बाद के फैसले में असहमति जताई थी। यह भी अनुरोध किया गया कि आई. आर. ई. एम. के पैरा 2005 में अस्थायी स्थिति सेवा के केवल 50 प्रतिशत को ही पेंशन लाभ के उद्देश्यों के लिए गिना जाना चाहिए।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 14.11.2014 के आदेश के माध्यम से भारत संघ बनाम प्रेम पाल सिंह में 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) 7618 में अपने पहले के फैसले 10.11.2014 के बाद रिट याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.11.2014 के पूरे फैसले को निकालना उपयोगी हैः पीठ ने कहा, "इस मामले में विवाद यह है कि उत्तरदाताओं/आवेदकों की सेवा की अवधि को अंतिम और पेंशन लाभों का उद्देश्य से किस तरीके से गिना जाएगा। याचिकाकर्ता भारत संघ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 18.07.2014 के एक आदेश से व्यथित है। शुरुआत में, यह बताया गया था कि डब्ल्यू. पी. (सी) 7618/2014 और संबंधित मामले (भारत संघ और अन्य बनाम प्रेम पाल सिंह) में इस अदालत ने 10.11.2014 पर निर्णय लिया था कि एक समान मामले से निपटने का अवसर था। अंतर केवल इतना था कि उन मामलों में कैट के ऑर्डर 06.02.2014 और 29.05.2014 पर किए गए थे। अदालत ने उस अवसर पर रेलवे सेवा (पेंशन) नियमों, विशेष रूप से नियम 20 के साथ-साथ मास्टर सर्कुलर 54 (पैराग्राफ 20) और पैराग्राफ 2005/REM को ध्यान में रखा था। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आकस्मिक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई अवधि का 50 प्रतिशत, बशर्ते उसे अस्थायी दर्जा प्रदान किया जाए और अंततः नियमित किया जाए, पेंशन और अंतिम लाभों के उद्देश्यों के लिए गणना का हकदार है और इसी तरह अस्थायी सेवा की पूरी अवधि-नियमितकरण के अधीन-गणना/या पेंशन और अंतिम लाभों के उद्देश्यों के लिए पात्र है। डब्ल्यू. पी. में उक्त निर्णय के बाद (ग) 10.11.2014 पर निर्णय लिया गया, इस याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

8. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. में दिनांकित 10.11.2014 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। (ग) भारत संघ 2014 का डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 7627 और बनाम श्याम प्यारे यादव और अन्य, जिसके द्वारा दो रिट याचिकाओं को

2014 का डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 7618, भारत संघ बनाम प्रेम पाल सिंह और 2014 का डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 7627, भारत संघ और अन्य बनाम श्याम प्यारे यादव और अन्य का निर्णय लिया गया था।

2017 का सी. ए. संख्या 3939 (एस. एल. पी. संख्या 23725/2015 से उत्पन्न)

9. रिट याचिका के प्रतिवादी भी एक निर्माण संगठन में आकस्मिक कर्मचारी थे, जिन्हें बाद में अस्थायी दर्जा दिया गया था और स्थायी पदों के खिलाफ नियमित किया गया था। उन्होंने पेंशन के उद्देश्य से अस्थायी दर्जा दिए जाने के बाद 100 प्रतिशत सेवा के लाभ का भी दावा किया। उन्होंने 2012 का ओए सं.3745 दायर किया, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 06.02.2014 के फैसले द्वारा अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ 2014 का डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 7627 भारत संघ द्वारा दायर किया गया था, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10.11.2014 को खारिज कर दिया था।

2017 का सी. ए. संख्या 3940 (एस. एल. पी. संख्या 3382/2016 से उत्पन्न)

10. दिल्ली उच्च न्यायालय के 2014 की डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 7913 में दिनांकित 18.11.2014 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। 2014 का डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 7913, भारत संघ और अन्य बनाम प्रेम पाल सिंह (ऊपर) में दिनांकित 10.11.2014 के फैसले के बाद खारिज कर दिया गया है। उत्तरदाताओं को आकस्मिक मजदूरों के रूप में भी नियुक्त किया गया था जिन्हें बाद में अस्थायी दर्जा दिया गया था और उसके बाद, स्थायी पदों के खिलाफ नियमित किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अस्थायी स्थिति की पूरी अवधि को पेंशन लाभ के लिए माना जाएगा। 2013 को एक ओ ए सं. 2221 दाखिल किया गया था जिसे 23.05.2014 पर अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ 2014 का डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 7913 दायर किया गया था, जिसे 18.11.2014 को खारिज कर दिया गया था।

2017 का सी. ए. संख्या 3941 (एस. एल. पी. संख्या 28597/2016 से उत्पन्न)

11. 2015 की डबल्यू. पी. (ग) सं. 10202 (और अन्य संबंधित रिट याचिकाएँ) में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 18.01.2016 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम प्रेम पाल सिंह (सुप्रा) में अपने पहले के फैसले के बाद रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उत्तरदाता भी आकस्मिक कर्मचारी थे, जिन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया था और उसके बाद उन्हें नियमित कर दिया गया था। उन्होंने पेंशन लाभ के उद्देश्य से अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा प्रदर्शन की गई 100 प्रतिशत सेवा अवधि की गणना करने का दावा किया। मूल आवेदन न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था जिसे अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ रिट याचिका दायर की गई थी।

2017 का सी. ए. संख्या 4384 (एस. एल. पी. संख्या 821/2017 से उत्पन्न)

12. 2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 10706 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18.01.2016 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम प्रेम पाल सिंह (सुरपा) में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। उत्तरदाता भी आकस्मिक मजदूर थे, जिन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया था और उसके बाद, स्थायी पदों के खिलाफ नियमित किया गया था। मूल आवेदन न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था जिसे अनुमति दी गई थी जिसके खिलाफ निर्णय, रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

2017 का सी. ए. संख्या 3943 (एस. एल. पी. संख्या 8365/2017 से उत्पन्न, सीसी नं. 1516)

13. 2015 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 9286 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 31.03.2016 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम प्रेम पाल सिंह (सुप्रा) में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया था। उत्तरदाताओं को आकस्मिक मजदूरों के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया था और उसके बाद उन्हें नियमित किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा दायर मूल आवेदन को यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि वे पेंशन लाभ के लिए अस्थायी सेवा की पूरी अवधि की गणना करने के हकदार थे, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

2017 का सी. ए. संख्या 3944 (एस. एल. पी. संख्या 3719/2017 से उत्पन्न)

14. यह अपील 2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 11521 में दिनांकित 18.01.2016 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम प्रेम पाल सिंह (सुप्रा) में अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। उत्तरदाताओं को भी शुरू में आकस्मिक मजदूरों के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद, उन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया और बाद में, स्थायी पदों के लिए नियमित किया गया। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक ओ. ए. दायर किया, जिसमें पेंशन लाभ के लिए अस्थायी सेवा की पूरी अवधि की गणना का दावा किया गया था, जिसे आवेदन की अनुमति दी गई थी, जिससे व्यथित होकर भारत संघ ने एक आवेदन दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था।

15. तथ्यों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह स्पष्ट है कि भारत संघ द्वारा उपरोक्त अपीलों को जन्म देने वाली सभी रिट याचिकाओं को 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7618 और 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7627 में उच्च न्यायालय के

दिनांक 10.11.2014 के फैसले के आधार पर खारिज कर दिया गया है। 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7618 में दिनांकित 10.11.2014 के फैसले के खिलाफ, 2015 का एस. एल. पी. (सी) संख्या 23720 दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई 08.03.2017 पर हुई थी। 2015 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 23720 का निपटारा प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए किया गया था जैसा कि दिनांकित 08.03.2017 आदेश में देखा गया था। हालांकि, 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7618 और 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7627 में दिए गए उसी निर्णय के खिलाफ भारत संघ ने 2014 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7627 से उत्पन्न 2015 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 23725 दायर की है, जिसे अपीलों के इस समूह में भी विचार के लिए लिया गया है।

21. श्री एम. सी. ढींगरा ने तर्क दिया कि रेलवे कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है। जिसे आकस्मिकता से भुगतान किया जाता है या जिसे उसने प्रस्तुत किया कि भुगतान के स्रोत से कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों के लिए विद्वान वकील की उपरोक्त प्रस्तुतियों और अभिलेख पर सामग्री से, इन अपीलों में विचार के लिए जो एकमात्र मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद एक आकस्मिक कर्मचारी की पूरी सेवाएँ जब तक कि वह किसी पद पर नियमित रूप से शामिल नहीं हो जाता है, तब तक उसे पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है या ऐसी सेवा की केवल 50 प्रतिशत अवधि को ही पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है? 50 प्रतिशत आकस्मिक अवधि की गणना में कोई चुनौती नहीं है और यह स्पष्ट है कि उक्त गणना नियम, 1993 के नियम 31 के अनुसार है और आकस्मिक अवधि की उक्त 50 प्रतिशत सेवाओं का लाभ उत्तरदाताओं को पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकार, हमें इन अपीलों में एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

24. न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली (आई. आर. ई. एम.) के मास्टर सर्कुलर संख्या 54, पैरा 2005 के पैरा 20 के साथ-साथ नियम, 1993 का भी उल्लेख किया है।

25. मास्टर सर्कुलर नंबर 54 के पैरा 20 को नीचे उद्धृत किया गया हैः -

"20. पेंशन लाभों के लिए आकस्मिक श्रम की सेवा की अवधि की गणनाः - 120 दिनों की निरंतर सेवा के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम (परियोजनाओं पर नियोजित आकस्मिक श्रम के अलावा) की सेवा की अवधि का आधा हिस्सा। यदि इसके बाद नियमित रेलवे कर्मचारी के रूप में सेवा में शामिल किया जाता है, तो पेंशन लाभ के लिए गणना की जाती है। 1-1-1981 के प्रभाव से, परियोजना आकस्मिक श्रम को भी लाभ दिया गया है।

26. अगला प्रावधान आई. आर. ई. एम. का पैरा 2005 है, जो इस प्रकार हैः - "आईआरईएम" 2005- आकस्मिक श्रम के लिए स्वीकार्य अधिकार और विशेषाधिकार जिन्हें 120 दिन या 360 दिनों के निरंतर रोजगार (जैसा भी मामला हो) के पूरा होने के बाद अस्थायी (यानी अस्थायी दर्जा दिया गया है) माना जाता है। (ए) अस्थायी के रूप में माने जाने वाले आकस्मिक श्रम इस नियमावली के अध्याय XXIII में निर्धारित अस्थायी रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य अधिकारों और लाभों के हकदार हैं। ऐसे श्रम के लिए स्वीकार्य अधिकारों और विशेषाधिकारों में डी एंड ए नियमों का लाभ भी शामिल है। हालांकि, आवश्यक चयन/जांच के बाद अस्थायी/स्थायी/नियमित संवर्ग में अवशोषण से पहले उनकी सेवा को अन्य नियमित/अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। हालाँकि, यह इन प्रावधानों के अधीन है कि यदि कुछ व्यक्तिगत कर्मचारियों की वरिष्ठता पहले ही किसी अन्य मामले में निर्धारित की जा चुकी है, या तो अन्यथा न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में, तो इस प्रकार के

निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 11 ग्राम परियोजना आकस्मिक श्रम सहित आकस्मिक श्रम, निरंतर रोजगार के निर्धारित दिनों के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद और नियमित रूप से अवशोषित होने से पहले, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की केवल आधी अवधि को पेंशन लाभ के उद्देश्य से योग्यता सेवा के रूप में गिनने के लिए पात्र होंगे। यह लाभ नियमित रोजगार में उनके अवशोषण के बाद ही स्वीकार्य होगा। ऐसे आकस्मिक श्रमिक, जिन्होंने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है, नियमित सेवा में अवशोषण पर अपने क्रेडिट पर छुट्टी को नए पद पर ले जाने के भी हकदार होंगे। दैनिक मूल्यांकन वाले आकस्मिक श्रमिक इन लाभों के हकदार नहीं होंगे।

27. रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं। नियम, 1993 के नियम 20 और नियम 31 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैंः-

"20. योग्यता सेवा की शुरुआत-इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, एक रेलवे कर्मचारी की योग्यता सेवा उस पद का कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होगी, जिसमें वह पहली बार या तो मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता हैः बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा बी के बाद, बिना किसी रुकावट के, उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति होती हैः बशर्ते कि-(ए) समूह 'डी' सेवा या पद में एक रेलवे कर्मचारी के मामले में, जिसके पास 17 अप्रैल, 1950 से पहले स्थायी पेंशन योग्य पद पर ग्रहणाधिकार या निलंबित ग्रहणाधिकार था, सोलह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दी गई सेवा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं मानी जाएगी; और। (ख) खंड (क) के दायरे में नहीं आने वाले रेलवे कर्मचारी के मामले में, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की गई सेवा को क्षतिपूर्ति उपदान के अलावा नहीं गिना जाएगा।

31. आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की गणना-एक रेल कर्मचारी के संबंध में, 22 अगस्त, 1968 को या उसके बाद सेवा में, आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा के आधे हिस्से को नियमित रोजगार में अवशोषण पर पेंशन लाभों की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः-

(ए) आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा पूर्णकालिक रोजगार से जुडी नौकरी में रही है;

(बी) आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा एक प्रकार के काम या नौकरी में होनी चाहिए जिसके लिए नियमित पदों को मंजूरी दी जा सकती थी जैसे कि माली, चौकीदार और खलासी के पद;

(सी) सेवा ऐसी होनी चाहिए थी जिसके लिए मासिक दर के आधार पर या मासिक रूप से गणना की गई और भुगतान की गई दैनिक दरों पर भुगतान किया गया हो।

(डी) आकस्मिकताओं से भुगतान की जाने वाली सेवा निरंतर रही है और उसके बाद बिना किसी विराम के नियमित रोजगार में अवशोषण किया गया है।

बशर्ते कि आकस्मिकताओं से भुगतान की गई पिछली सेवा के लिए महत्व 1 जनवरी, 1961 के बाद की अवधि तक सीमित होगा, बशर्ते कि सेवा के प्रामाणिक रिकॉर्ड जैसे वेतन बिल, छुट्टी रिकॉर्ड या सेवा-पुस्तक उपलब्ध हो।

नोट-(1) इस नियम के प्रावधान आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए आकस्मिक श्रम पर भी लागू होंगे।

(2) अभिव्यक्ति '.' नियमित रोजगार में अवशोषण का अर्थ है एक नियमित पद के विरुद्ध अवशोषण।"

मास्टर सर्कुलर के पैरा 20 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि 120 दिनों की निरंतर सेवा के पूरा होने पर अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम की सेवा की अवधि का केवल आधा हिस्सा ही पेंशन लाभ के लिए गिना जाता है। 29. भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली के पैरा 2005 में भी पेंशन लाभ की अवधि की गणना के लिए यही योजना शामिल है। पैरा 2005 में शीर्षक हैः "2005" आकस्मिक श्रम के लिए स्वीकार्य अधिकार और विशेषाधिकार जिन्हें 120 दिनों या 360 दिनों के निरंतर रोजगार (जैसा भी मामला हो) के पूरा होने के बाद अस्थायी (यानी अस्थायी दर्जा दिया गया है) माना जाता है। उपरोक्त शीर्षक आकस्मिक श्रम के लिए लक्षित विशेषाधिकारों की गणना करता है जिन्हें अस्थायी माना जाता है। खंड (ए) सी. एफ. पैरा 2005 प्रदान करता हैः "परियोजना आकस्मिक श्रम सहित आकस्मिक श्रम (निरंतर रोजगार के निर्धारित दिनों के पूरा होने पर और नियमित अवशोषण से पहले अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि का आधा, पेंशन लाभ के उद्देश्य से योग्यता सेवा के रूप में गणना करने के लिए पात्र होंगे।" आइए अब हम उच्च न्यायालय के दिनांक 10.11.2014 के फैसले पर गौर करें ताकि कारण का पता लगाया जा सके कि अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम पेंशन लाभों के लिए सेवा की पूरी अवधि की गणना करने का हकदार है।

निर्णय के पैरा 7 में उच्च न्यायालय ने मास्टर सर्कुलर के पैरा 20 और आई. आर. ई. एम. के पैरा 2005 को प्रशासनिक निर्देशों के रूप में संदर्भित किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आकस्मिक श्रमिकों के रूप में बिताई गई आधी अवधि पेंशन के उद्देश्य के लिए गणना के योग्य होगी। फैसले के पैरा 6 में उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कहा गया थाः

"6. यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि मास्टर सर्कुलर नं,आई. आर. ई. एम. का 54 और पैरा 2005 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अस्थायी दर्जे की प्राप्ति के बाद आकस्मिक मजदूरों/श्रमिकों को अंततः नियमित किया जाता है। इनका संयुक्त प्रभाव उन व्यक्तियों को पेंशन के उद्देश्य से उस अवधि का आधा हिस्सा लेने का अधिकार देता है जो एक अवधि के लिए आकस्मिक श्रमिकों के रूप में काम करते हैं।

32. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में नियम, 1993 के नियम 20 और महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और अन्न बनाम शेख अब्दुल खादर (सुप्रा), में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नियम, 1993 के नियम 31, 94 के मास्टर सर्कुलर संख्या 54 के पैरा 20 और आई. आर. ई. एम. के पैरा 2005 के साथ-साथ नियम 20 का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित निर्धारित किया:

"यदि इस उप-पैरा को पैरा-20 और नियम-31 के साथ भी पढ़ा जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवशोषण पर उस पूरी अवधि को गिना जाएगा जिसके लिए एक आकस्मिक श्रम ने अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद काम किया था और आधी अवधि को उस अवधि के लिए गिना जाना चाहिए जिसके लिए एक आकस्मिक श्रम ने अवशोषित किए बिना काम किया था। एक बार जब उसे अस्थायी दर्जा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसे विभाग में शामिल कर लिया गया है। यहां तक कि पैरा 2005 (ए) का मसौदा भी उसी तरह तैयार किया गया है क्योंकि ऐसे आकस्मिक श्रमिक जिन्होंने अस्थायी दर्जा प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी नियमित सेवा में शामिल होने पर अपने क्रेडिट पर छुट्टी को नए पद पर आगे बढ़ाने की अनुमति है। इसलिए, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को अस्थायी दर्जा दिए जाने के बाद, जिसे बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाता है, न केवल उसके

श्रेय के लिए छुट्टी देता है, बल्कि सेवा को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाता है। अस्थायी दर्जा प्राप्त करने से पहले आकस्मिक श्रम के रूप में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा का आधा हिस्सा गिना जाना चाहिए। इसलिए, हमें नहीं लगता कि न्यायाधिकरण अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में गलत था, हालाँकि हम न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं हो सकते हैं। हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को रेलवे सेवा (पेंशन) नियमों के नियम-20 के अधिदेश से और मजबूत किया गया है, जिसमें कहा गया हैः

"20. योग्यता सेवा की शुरुआतः इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, एक रेलवे कर्मचारी की योग्यता सेवा उस तारीख से शुरू होगी जब वह उस पद का कार्यभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार या तो मूल या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है। बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन, बिना किसी रुकावट के, उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है। बशर्ते कि

(ए)...................... (बी).

इसलिए, हमारा मानना है कि प्रतिवादी 1 जनवरी, 1983 से सेवा की पूरी गिनती कराने का हकदार था। वह रेलवे में आकस्मिक श्रम के रूप में शामिल होने की तारीख से 1 जनवरी 1983 से पहले आधी सेवा प्राप्त करने के भी हकदार थे। 33. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले पर बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वयं रिट याचिका सं. 0838/2001 का, महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और एक अन्य बनाम ए. रामानम्मा ने 01.05.2009 पर निर्णय लिया जिसमें शेख अब्दुल खादर (सुप्रा) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले के फैसले का महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे और अन्य बनाम चंदा देवी, 2008 (2) SCC 108 में इस उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के बाद पालन नहीं किया गया था।

34. शेख अब्दुल खादर (सुप्रा) का अनुसरण करने या न करने के लिए बाद के निर्णय में निम्नलिखित कारण दिए गए हैंः

"इसी तरह, शेख अब्दुल खादर (ऊपर) ने पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए योग्यता सेवा के उद्देश्यों के लिए अवशोषण से पहले ही अस्थायी स्थिति प्राप्त करने के बाद एक आकस्मिक श्रमिक द्वारा प्रदान की गई पूरी सेवा की गिनती का निर्देश दिया, जो अस्थायी स्थिति के साथ आकस्मिक श्रम और चंदा देवी (ऊपर) द्वारा मान्यता प्राप्त अस्थायी रेलवे कर्मचारियों और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य फैसलों के बीच के अंतर के विपरीत है। शेख अब्दुल खादर (ऊपर) में यह निष्कर्ष कि एक बार आकस्मिक श्रम को अस्थायी दर्जा दिया जाता है. इसका मतलब है कि उसे विभाग में शामिल कर लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियमों की व्याख्या और कानूनी स्थिति के साथ फिट नहीं बैठता है। चंदा देवी के मामले (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले में आकस्मिक श्रम के रोजगार की प्रकृति पर विचार किया गया, जिसे अस्थायी दर्जा दिया गया था। उपरोक्त मामले में, श्रीमती संतोष, प्रतिवादी श्री राम निवास की विधवा थी। राम निवास जो एक परियोजना आकस्मिक श्रमिक थे। इंद्रपाल यादव बनाम भारत संघ मामले में इस अदालत के आदेश के अनुसरण में भारत संघ द्वारा बनाई गई योजना के तहत भारत संघ, 1985 (2) एस. सी. सी. 648, राम निवास को अस्थायी कर्मचारी के रूप में माना गया था। राम निवास की मृत्यु के बाद, उनकी विधवा ने पारिवारिक पेंशन देने का दावा दायर किया, जिसे रेलवे ने खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ विधवा ने केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने दावे को स्वीकार कर लिया, भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। आई. आर. ई. एम. के नियम 2001, नियम 2002 और नियम 2005 का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि नियम 2005 स्पष्ट रूप से आकस्मिक श्रम के लिए स्वीकार्य

पात्रता और विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है जिन्हें अस्थायी माना जाता है यानी अस्थायी दर्जा दिया जाता है।

36. इस न्यायालय ने आगे कहा कि अस्थायी स्थिति वाले आकस्मिक श्रम और अस्थायी सेवक के बीच अंतर है, निर्णय का पैरा 24 प्रासंगिक है जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः "24. मैनुअल के अध्याय XV में आने वाले नियम 1501 में निहित एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी की परिभाषा से अस्थायी स्थिति वाले आकस्मिक श्रमिक और एक अस्थायी कर्मचारी के बीच के अंतर को तुरंत देखा जा सकता हैः 1501(i) अस्थायी रेलवे कर्मचारी परिभाषा-'अस्थायी रेलवे कर्मचारी' का अर्थ है रेलवे या रेलवे बोर्ड के तहत किसी अन्य प्रशासन या कार्यालय में स्थायी पद पर ग्रहणाधिकार के बिना एक रेलवे कर्मचारी। इस शब्द में 'आकस्मिक श्रम' शामिल नहीं है, जिसमें 'अस्थायी स्थिति के साथ आकस्मिक श्रम', 'अनुबंध' या 'अंशकालिक' कर्मचारी या 'प्रशिक्षु' शामिल हैं। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी अस्वीकार कर दिया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी बन जाता है। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को इस न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 27 में निकाला गया और निर्णय के पैरा 31 में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को अस्वीकार कर दिया गया। पैरा 27 और पैरा 31 नीचे दिए गए अनुसार निकाले गए हैंः"27. गुजरात उच्च न्यायालय ने रूखीबेन रूपाभाई बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के समक्ष दायर योजना का विश्लेषण करने में कोई संदेह नहीं है। इंदर पाल यादव मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद रेलवे ने यह बदलाव किया है। 'अस्थायी रेलवे सेवक' की मूल परिभाषा स्पष्ट है, लेकिन नियम (1501) में उपरोक्त परिभाषा में, रेलवे ने 'अस्थायी स्थिति' के साथ आकस्मिक श्रम को शामिल किया है, जिससे उन्हें अस्थायी रेलवे सेवक की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यह परिवर्तन कैसे और क्यों किया

गया है, परिवर्तन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, इसमें कोई कानाफूसी नहीं है, हालांकि, इस परिवर्तन ने 360 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने पर आकस्मिक श्रम को अस्थायी होने पर गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और इंदर पाल यादव मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन किया है, जिसके बाद दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ बनाम जी. एम., दक्षिण रेलवे, (1987) 1 एस. सी. सी. 677,1987 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 73 ने आकस्मिक श्रम को अस्थायी रेलवे कर्मचारी बना दिया है। चूँकि केवल चार श्रेणियाँ मौजूद हैं, अर्थात् (1) स्थायी, (2) अस्थायी, (3) आकस्मिक श्रम, और (4) पहले निर्दिष्ट मामलों में अनुमोदित मूल योजना के तहत प्रतिस्थापन, आकस्मिक श्रम, 360 दिनों के निरंतर रोजगार के पूरा होने के बाद अस्थायी रेलवे कर्मचारी बन जाता है, इसलिए, उसे रेलवे द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 11.09.1986 द्वारा बाद में अस्थायी स्थिति के साथ आकस्मिक श्रम नहीं बनाया जा सकता है, जिसे दक्षिण रेलवे कर्मचारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसलिए, इस परिपत्र को इंदर पाल यादव मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, जो मूल योजना के विपरीत है और अनुच्छेद 14,16,21,41/42 द्वारा प्रभावित है, लेकिन स्पष्ट रूप से रेलवे नियमावली के प्रावधानों पर उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया था।

"भारत का संविधान"

31. इसलिए, हमारी राय में गुजरात उच्च न्यायालय ने अन्यथा राय देते हुए एक मौलिक त्रुटि की। यह ध्यान देने में विफल रहा कि जब आकस्मिक श्रम को स्थायी या अस्थायी कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा गया है, तो वह अस्थायी स्थिति के साथ ऐसा नहीं हो सकता था और इसलिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। यह विधायिका का काम है कि वह कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में एक प्रतिष्ठान में रखे। यह

कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए एक नई श्रेणी बना सकता है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ बनाम जी. एम., दक्षिण रेलवे, जिस पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा रुखीबेन रूपाभाई में निर्भरता रखी गई है, उक्त निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है जैसा कि उसके द्वारा अनुमान लगाने की मांग की गई थी। उसमें सवाल यह था कि क्या याचिकाकर्ताओं को अदालत के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई योजना में शामिल करने के लिए कोई निर्देश जारी किया जाना था।

38. चंदा देवी के मामले में, अंततः इस न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि श्री निवास की विधवा पेंशन की हकदार थी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अस्थायी स्थिति वाले आकस्मिक श्रम और अस्थायी सेवक के बीच अंतर है। हमारे सामने सभी मामले ऐसे हैं जहां आकस्मिक श्रम को अस्थायी दर्जा दिया गया है। अस्थायी दर्जा देना किसी पद पर नियुक्ति देने के बराबर नहीं है।

39. प्रतिवादी के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान वकील द्वारा नियम 20 पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई है। नियम 20 में कहा गया हैः "20. इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, एक रेलवे कर्मचारी की योग्यता सेवा उस पद का प्रभार संभालने की तारीख से शुरू होगी, जिसमें वह पहली बार या तो मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता हैः बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन, बिना किसी रुकावट के, उसी या किसी अन्य सेवा या पद में मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है।

40. नियम 20 में प्रावधान है कि योग्यता सेवा उस तारीख से शुरू होगी जब कर्मचारी उस पद का प्रभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार या तो मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है। नियम 20 तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को उपरोक्त किसी भी क्षमता में पद पर नियुक्त किया जाता है। जब नियुक्ति किसी पद के खिलाफ नहीं होती है तो नियम 20 लागू नहीं होता है। जब एक आकस्मिक श्रम को एक अस्थायी दर्जा दिया जाता है, तो एक स्थिति का अनुदान आई. आर. ई. एम. के पैरा 2005 में उल्लिखित विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करता है। पैरा 2005 के उपखंड (ए) में गिने गए लाभों में से एक यह भी है कि उसे अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के केवल आधे हिस्से को गिनने के लिए पात्र बनाया जाए। इस प्रकार नियम 20 स्पष्ट रूप से ऐसे मामले में लागू नहीं होता है जहां केवल आकस्मिक कार्यकर्ता को अस्थायी दर्जा दिया जाता है और किसी भी पद के खिलाफ किसी भी क्षमता में कोई नियुक्ति नहीं की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय विवादित निर्णय में निर्णय के पैरा 7 में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नियम 20 के प्रावधान पर निर्भर करता है। "7. हमारी राय में, परंतुक इस विवाद को संदेह की छाया से परे रखता है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में कार्य करता है या उसे अस्थायी रेलवे कर्मचारी के रूप में माना जाता है और बाद में (नियमित या मूल नियुक्ति दी जाती है, तो अस्थायी नियुक्ति के रूप में उसकी संयुक्त सेवा की पूरी अवधि और उसके बाद स्थायी कर्मचारी के रूप में खर्च की गई सेवा को पेंशन के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। चूँकि नियम 20 इस बात से संबंधित नहीं है कि आकस्मिक श्रमिक के रूप में खर्च की गई सेवा की अवधि के साथ क्या किया जाना है, इसलिए आई. आर. ई. एम. के मास्टर सर्कुलर 54 के पैरा 20 और पैरा 2005 उक्त मुद्दे को संबोधित करते हैं। प्रशासनिक निर्देश होने के कारण, वे स्पष्ट करते हैं कि आकस्मिक मजदूरों के रूप में बिताई गई आधी अवधि पेंशन के उद्देश्यों के लिए गणना के योग्य

होगी। नियम 20 का परंतुक इस प्रकार हैः "बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन, बिना किसी रुकावट के, उसी में या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है।" उपरोक्त प्रावधान को मुख्य नियम 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जब मुख्य नियम 20 में उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से योग्यता सेवा शुरू करने पर विचार किया गया है, तो किसी पद पर नियुक्ति अंतर्निहित है और एक पूर्ववर्ती शर्त है। परंतुक में एक और अलग शर्त रखी गई है कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन, बिना किसी रुकावट के, उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है। परंतुक को मुख्य प्रावधान से स्वतंत्र नहीं पढ़ा जा सकता है और न ही इसका मतलब यह हो सकता है कि केवल अस्थायी दर्जा देने से एक आकस्मिक कर्मचारी पेंशन लाभ के उद्देश्य से अपनी अस्थायी स्थिति की सेवा का हिसाब रखने का हकदार है।

43. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में ए. रमनम्मा दिनांक 01.05.2009 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के बाद के फैसले पर भरोसा नहीं किया है और चंदा देवी मामले (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले का इस आधार पर पालन नहीं किया है कि नियम 20 विशेष रूप से परंतुक पर विचार नहीं किया गया है। इस अदालत ने चंदा देवी के मामले में नियम 20 का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उस मामले के तथ्यों में नियम 20 का कोई उपयोग नहीं था क्योंकि चंदा देवी के मामले में प्रतिवादी के पति की नियुक्ति किसी पद के खिलाफ नहीं थी। नियम 20 लागू नहीं होने के कारण चंदा देवी के मामले में इस न्यायालय द्वारा नियम 20 का गैर-संदर्भ महत्वहीन है। विवादित फैसले के पैरा 8 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ए. रमनम्मा और चंदा देवी मामले पर भरोसा नहीं करने के लिए निम्नलिखित कारण दिएः "8. इस न्यायालय की राय में, रामानम्मा (ऊपर) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का बाद का निर्णय, सही कानून घोषित नहीं करता है। हालाँकि निर्णय में कुछ पिछले फैसलों के

साथ-साथ रेलवे सेवा (पेंशन) नियमों के आई. आर. ई. एम. और नियम 31 के प्रावधानों पर विचार किया गया है, लेकिन उस मामले में न्यायालय का नोटिस स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था और न्यायालय ने नियम 20, विशेष रूप से उस परंतुक को ध्यान में नहीं रखा जो विशेष रूप से वर्तमान स्थिति से संबंधित है। इसी तरह, चंदा देवी (उपरोक्त) ने नियम 20 के प्रभाव पर विचार नहीं किया, जो इस न्यायालय की राय में, उन लोगों को हकदार बनाता है जो आकस्मिक मजदूरों के रूप में काम करते हैं; उन्हें अस्थायी दर्जा दिया जाता है, और अंततः रेलवे को पेंशन के उद्देश्यों के लिए अस्थायी और मूल नियुक्ति की पूरी अवधि की गणना करने के लिए पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाता है।

44. ए. रमनम्मा मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले में चंदा देवी के मामले में इस न्यायालय के फैसले के साथ-साथ आई. आर. ई. एम. के मास्टर सर्कुलर के पैरा 20 और पैरा 2005 पर विस्तार से विचार किया गया था और इस न्यायालय के अन्य मामलों पर भी विचार किया गया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम केवल आधी अवधि की गणना करने का हकदार है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ए. रामानम्मा मामले में आंध्र उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 50 प्रतिशत सेवा को आकस्मिक श्रम के रूप में नहीं गिना जा सकता है, जो सही नहीं है। नियम, 1993 के नियम 31 में आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की गिनती का प्रावधान है। नियम 31 के नोट 1 में कहा गया हैः -

"इस नियम के प्रावधान आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए आकस्मिक श्रम पर भी लागू होंगे जब नोट 1 स्पष्ट रूप से आकस्मिक श्रम के लिए नियम 31 लागू करता है

तो वे आकस्मिकताओं से भुगतान की गई आकस्मिक सेवाओं के आधे हिस्से की गणना करने के भी हकदार हैं।"

45. इस प्रकार उपरोक्त सीमा को छोड़कर, ए. रामानम्मा मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय सही कानून निर्धारित करता है।

46. जैसा कि ऊपर देखा गया है, आकस्मिक श्रम की अस्थायी स्थिति का अनुदान किसी पद के खिलाफ नियुक्ति के समान नहीं है और ऐसी आकस्मिकता नियम 20 द्वारा कवर नहीं की गई है और यह स्पष्ट रूप से नियम 31 द्वारा कवर किया गया है जो प्रदान करता है कि "आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा का आधा नियमित रोजगार में अवशोषण पर पेंशन लाभों की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें कुछ शर्तों की गणना की गई है।" इस प्रकार अस्थायी दर्जा देने पर पेंशन लाभों की गणना के लिए योग्य सेवाओं की गणना करते समय नियम 31 स्पष्ट रूप से लागू होता है।

47. दिल्ली उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद आकस्मिक श्रम की सभी सेवाएं, जिन्हें बाद में नियमित कर दिया गया था, गणना का हकदार है। आकस्मिक श्रमिक जिन्हें अस्थायी दर्जा दिया गया है, वे नियम 31 के अनुसार पेंशन लाभों के लिए आधी सेवाओं की गणना कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 6,7 और 8 में विवादित निर्णय में दिए गए कारणों को सही कारण नहीं पाया गया हैः हमारा विचार है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

48. हालाँकि, हमारा विचार है कि नोट-1 नियम 31 के आधार पर अस्थायी दर्जा देने से पहले आकस्मिक श्रम की अवधि पेंशन लाभों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा के विपरीत होनी चाहिए।

49. इस मामले का एक और पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नियम, 1993 अर्थात नियम 107 में विशिष्ट नियम है, जो पेंशन मंजूरी प्राधिकरण को किसी भी नियम के संचालन की आवश्यकता को पूरा करने या उसमें ढील देने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संपर्क करने का अधिकार देता है, जिससे किसी विशेष मामले में कठिनाई होती है। नियम 107 नीचे उद्धृत किया गया हैः

"107. ढील देने की शक्ति-जहां पेंशन मंजूरी देने वाले प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि इनमें से किसी भी नियम के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह प्राधिकरण कारणों से (या लिखित रूप में दर्ज किया जाए) उस नियम की आवश्यकताओं को इस हद तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन करने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संपर्क कर सकता है जो वह मामले को न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे। रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ऐसे प्रत्येक मामले की जांच करेगा और 'प्रत्येक मामले के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी को प्रस्तावित वितरण या छूट के बारे में सूचित करने की व्यवस्था करेगा, बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।"

50. इस प्रकार, उन रेलवे कर्मचारियों के मामलों में जो पेंशन देने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं और कुछ कम करने वाली परिस्थितियां हैं जिनमें छूट के लिए विचार की आवश्यकता होती है, प्रस्तावों को पेंशन मंजूरी प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति या मामलों के समूह में रेलवे बोर्ड को भेजा जा सकता है। इस प्रकार, हम इस अपील को स्वीकार करते हुए और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार

करते हुए पेंशन मंजूरी प्राधिकरण को योग्य मामलों में नियम 107 के तहत छूट देने की सिफारिश करने के लिए खुला छोड़ देते हैं।

51. श्री एम.सी ढींगरा प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम नारता सिंह और अन्य, 2004 (3) एस. सी. सी. 317, में मामले को संदर्भित किया। उपरोक्त मामले में, विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या पंजाब राज्य विभाग में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई कार्य-प्रभारित सेवाओं को पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी के रूप में उसे देय पेंशन के लिए योग्यता सेवा की गणना के उद्देश्य से गिना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में प्रतिवादी की पेंशन की गणना के लिए पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग में प्रदान की गई सेवाओं की गणना करने के निर्देश जारी किए हैं। फैसले से व्यथित पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने इस अदालत के समक्ष एसएलपी दायर की। इस न्यायालय ने देखा कि उपरोक्त निर्णय में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने पहले के निर्णयों को अपनाया है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार में प्रदान की जाने वाली अस्थायी सेवाओं के संबंध में पेंशन संबंधी दायित्व को ध्यान में रखा गया था। निर्णय का पैरा 19 और पैरा 20 जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया हैः

"19. केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा लिए गए उपर्युक्त नीतिगत निर्णयों को बोर्ड द्वारा विचार में लिया गया, जिसने भारत सरकार और राज्य सरकार में प्रदान की गई अस्थायी सेवा के संबंध में पेंशन देयता के आवंटन के विषय के संदर्भ में दिनांक 25.11.1985 का एक ज्ञापन जारी किया और पंजाब सरकार के दिनांक 20.05.1982 के पत्र में परिलक्षित नीतिगत निर्णय को अपनाया। 31.03.1982 से प्रभावी उक्त पत्र में निर्धारित निर्देशों और शर्तों के अनुसार यह पी. एस. ई. बी., पटियाला के सचिव के

लिए अवर सचिव/पी. एंड आर. द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 257861/8761 आर. ई. जी. 6/वी. एस. दिनांक 25.11.1985 से काफी स्पष्ट है।

20. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों को अपनाने का प्रभाव यह था कि एक अस्थायी कर्मचारी, जिसे केंद्र/राज्य सरकार की सेवा से हटा दिया गया था और जिसने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड में रोजगार प्राप्त किया था, वह केंद्र/राज्य सरकार के तहत उसके द्वारा प्रदान की गई अस्थायी सेवा को गिनने का हकदार था, जिस हद तक ऐसी सेवा केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत पेंशन देने के लिए योग्य थी। कार्य-प्रभारित सेवाओं के संबंध में, पंजाब उच्च न्यायालय ने केसर चंद बनाम मामले के फैसले पर ध्यान दिया था। पंजाब राज्य, (1988) 5 एस. एल. आर. 27 (पंजाब और हरियाणा) जिसमें पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 3,17 (ii) को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों में सेवा की उस अवधि को योग्यता सेवा के रूप में प्रदान किया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई कार्य-प्रभारित सेवाओं को गिना गया। 53. उपरोक्त निर्णय किसी भी तरह से वर्तमान मामले में प्रतिवादी की मदद नहीं करता है। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने राज्य सरकार के साथ-साथ बोर्ड द्वारा जारी वैधानिक नियमों और परिपत्रों की व्याख्या की। उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।"

54. श्री ढींगरा द्वारा 31.08.2010 को निर्णीत एक अन्य निर्णय 2010 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 2371 [हरबंस लाल बनाम पंजाब राज्य और अन्य] में विश्वास जताया गया है। उक्त मामले में भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सिविल सेवा नियम और पेंशन योजना पर विचार किया जो 01.01.2004 से लागू हुई थी। उक्त फैसला वैधानिक नियम और उस मामले के तथ्यों में अलग था, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी की मदद नहीं करते हैं।

55. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैंः 1) अस्थायी दर्जा प्राप्त करने के बाद आकस्मिक कर्मचारी पेंशन की गणना के उद्देश्यों के लिए नियमित/अस्थायी पद पर नियमित होने तक अपनी 50 प्रतिशत सेवाओं का हिसाब रखने का हकदार है। 2) अस्थायी दर्जा प्राप्त करने से पहले आकस्मिक कर्मचारी भी पेंशन के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक सेवा का 50 प्रतिशत लेने का हकदार है। 3) वे आकस्मिक कर्मचारी जो किसी भी पद पर मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किए जाते हैं, वे नियम, 1993 के नियम 20 के अनुसार ऐसे पद पर कार्यभार संभालने की तारीख से पूरी अवधि की गणना करने के हकदार हैं। 4) यह पेंशन मंजूरी प्राधिकरण के लिए खुला है कि वह उन आकस्मिक श्रमिकों के संबंध में किसी भी नियम की आवश्यकता को समाप्त करने या शिथिल करने के लिए रेलवे बोर्ड को योग्य मामले में छूट देने की सिफारिश करे, जिन्हें बाद में पद के खिलाफ अवशोषित किया गया है और जो पूरा नहीं करते हैं। योग्य मामलों में पेंशन देने के लिए मौजूदा नियम की आवश्यकता। लिखित अनुरोध पर, पेंशन मंजूरी प्राधिकरण इस बात पर विचार करेगा कि क्या कोई विशेष मामला नियम, 1993 के नियम 107 के तहत छूट के लिए सिफारिश के लिए विचार करने योग्य है।

56. नतीजतन, सभी अपीलों की अनुमति दी जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसलों को दरकिनार कर दिया गया है। अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है और उत्तरदाताओं द्वारा दायर मूल आवेदनों का निपटारा ऊपर दिए गए पैरा 55 के संदर्भ में किया जाता है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।